

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 फरवरी 2013—फाल्गुन 8, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोती महल, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 27 फरवरी 2013

शुद्धि—पत्र

क्र. 6 (स) पॉपी-लाय.-2013-14-31.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 13 फरवरी 2013 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 62, दिनांक 13 फरवरी 2013 द्वारा अफीम उत्पादक जिलों में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों का निश्चित आरक्षित मूल्य पर टेंडर द्वारा निष्पादन तथा अन्य जिलों में पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के लायसेंसों के निष्पादन संबंधी व्यवस्था वर्ष 2013-14 में, निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

उक्त विज्ञप्ति की कण्डिका क्रमांक-26 के बाद, परिशिष्ट-एक में :—

- (1) सरल क्रमांक 1 के कॉलम-3, में प्रकाशित शब्द समूह “जिला आबकारी कार्यालय, नीमच” के स्थान पर इसे “कलेक्टरेट, जिला नीमच” पढ़ा जाये।
- (2) सरल क्रमांक 2 के कॉलम-3 में प्रकाशित शब्द समूह “कलेक्टरेट, मन्दसौर” के स्थान पर इसे “जिला आबकारी कार्यालय, मन्दसौर” पढ़ा जाये।

एस. के. वेद
आबकारी आयुक्त,
मध्यप्रदेश।